न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
461/2025	15.09.2025	8.5.2026

उनवान

1. श्री शांतिलाल कुमावत पुत्र पोखर निवासी लापड़िया खेड़ा, ग्राम पंचायत रामपुरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. श्री सवाईराम पुत्र पोखर निवासी लापड़िया खेड़ा, ग्राम पंचायत रामपुरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।

—— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री नारायण पुत्र नानु कुमावत निवासी लापड़िया खेड़ा, ग्राम पंचायत रामपुरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. श्री लादू पुत्र नानु कुमावत, ग्राम पंचायत रामपुरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमती मुली पत्नी माधु कुमावत, ग्राम पंचायत रामपुरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. श्री खेमा पुत्र भुरा कुमावत, ग्राम पंचायत रामपुरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. श्री रामलाल पुत्र नन्दा कुमावत, ग्राम पंचायत रामपुरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. श्री चम्पा लाल पुत्र नारायण जाट, निवासी रूघनाथपुरा, ग्राम पंचायत रामपुरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7. श्री रतन पुत्र डालु जाट, निवासी ग्राम पंचायत रामपुरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, भीलवाड़ा।

— **विपक्षीगण**

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मुरली वैष्णव उपस्थित।**
2. **विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।**
3. **अप्रार्थी संख्या 08 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित नहीं।**

—:: आदेश ::

आदेश दिनांक 8.5.26

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुरली वैष्णव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम लापलिया खेड़ा पटवार हल्का रामपुरिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 1096 रकबा 0.1012 हैक्टेयर व आराजी संख्या 1097 रकबा 0. 2908 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 0.3920 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण पड़ौसी खातेदारान हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर राजस्व अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 व 08 सम्मन बाद तामिल प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 बाद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 बाद सूचना उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों व प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम लापलिया खेड़ा पटवार हल्का रामपुरिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गुरलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 1096 रकबा 0.1012 हैक्टेयर व आराजी संख्या 1097 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 0.3920 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थीगण को सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/5/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नंबर से कम हो।

8/5/26

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा